

-: आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती घरस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
आखौली	327	श्रीहराम पुत्र सुनीराम	831	0.01	श्रीहराम पुत्र	0.01	831
	328	जाति जाट साठ	832	0.12	पन्फाराम जाति	0.12	832
		खेड़ तैलियां	833	1.80	सा तैलियां	1.80	833
		कुआं की दाजी	834	2.43	कुआं की दाजी	2.43	834
					खातेदार		

क्रमांक :-

343

प्रतिलिपि पालनार्थ :- 18-10-21

1. उप तहसीलदार, भौलासर

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)
PGKSA-2021, प.स. भौलासर
दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का आखौली को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)
दिनांक :-

उप तहसीलदार, भौलासर